फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

रेणु बनाम मदन लाल व अन्य

प्रकरण संख्या 2024/057

online #

अन्तर्गत धारा 92ए, 188, 88, 183, 218 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
07.10.2024	वादी अधिवक्ता श्री जरनैल सिंह टुरना द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 04 नवम्बर, 2024 को पेश हो.	
4-11-24	आज बार सघ न कार्य नहीं करन का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-12-24 को पेश हो	
16.12.24	अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मिसल पेशी मे लेने का निवेदन करने पर पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रति-स.01 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव सिंह ने वकालतनामा पेश किया। शामिल फार्म किया गया। वादी एवं प्रतिवादी स.01 द्वारा स्वयं उप. आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा के तथ्यों के अनुसार प्रति-स.01 अपने नाम से कृषि भूमि वाके चक 4 वाई, पटवार हल्का कालिमा के खसरा संख्या 96/1 की कुल तादाडी 2.4310 है. मे से 0.7850 है. रकबा वादी को देगा। अब पक्षकारान का आपस मे कोई विवाद नही है अतः उक्त वाद दाखिल दफ्तर किया जावे। एवं इस आशय की [illegible] को आगे नही चलाना चाहते। आज [illegible] वादी की एवं अपने [illegible] पक्षकारान वादी अभिभाषक [illegible] प्रति-स.01 की पक्षकार [illegible] राजीनामा शामिल सुखदेव फिट इस की [illegible] आगे कोई पत्रावली हो पूर्वक वादी पक्षकार मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहता अतः प्रकरण अभिमान स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली नस्तीबद्ध हो पत्रावली दायर पंजिका के क्रम मे [illegible] की आज्ञा निर्णय की [illegible]	दावा वाद वादी चलाना चाहते हैं रेणु [illegible] Identified Gyme सुखदेव सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 10:58:16 IST
Reason: SelfAttested